

## कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र, मुरैना

क्र / एस.एस.ए. / गुरुजी / 2014-15 /


मुरैना दिनांक

// प्रेसनोट //

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश दिनांक 10.02.2014 के अनुसार ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षक जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं को संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर परीक्षा लिए बिना नियोजित किया जाना था । दिनांक 27.03.2015 को मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक में पात्र अपात्र गुरुजियों की अनन्तिम सूची जारी करने का निर्देश जारी किया गया जिसका प्रकाशन दिनांक 08.04.2015 को किया गया । अनन्तिम सूची जारी होने के उपरान्त प्राप्त दावा/आपत्तियों के परीक्षण उपरान्त पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की अनन्तिम सूची जिला शिक्षा केन्द्र, कार्यालय पर की जा रही है। सूची पर प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण 7 कार्यालयीन दिवसों में किया जावेगा।

कार्यालय की सूची जहां अनन्तिम सूची जारी की जा रही है -

1. कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना।
2. कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना।
3. कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पोरसा/अम्बाह/मुरैना/ जौरा/ कैलारस/सबलगढ़/पहाड़गढ़ जिला मुरैना ।
4. कार्यालय जनपद शिक्षा केन्द्र, पोरसा/अम्बाह/मुरैना/ जौरा/ कैलारस/सबलगढ़/पहाड़गढ़ जिला मुरैना ।
5. कार्यालय, प्राचार्य, (संबंधित) शा.उ.मा.वि.....।

  
जिला परियोजना समन्वयक  
जिला शिक्षा केन्द्र, मुरैना